संख्या-25 /2024/001-74-2002-001-4-2024

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम निदेशालय उ0प्र0,
गोमती नगर, लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 26 जुलाई, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 के ''अनुदान संख्या -10 में 14-केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास की योजना (राज्यांश) अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्यांश रू0 10.6375 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-107/सेरी0/तक0/सिल्क समग्र-2(4)/2024-25 दिनांक 29 मई, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास की योजना (राज्यांश) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 10.6375 लाख (रूपये दस लाख तिरसठ हजार सात सौ पचास मात्र) की योजनान्तर्गत माननीया राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान वित्तीय स्वीकृति करती हैं:-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त की जानी आवश्यक हों उन मामलों में व्यय करने के पूर्व सक्षम स्तर से ऐसी स्वीकृति/सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्टत रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है तो व्यय की जाने वाली धनराशि को सम्बन्धित जनपद के आहरण वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय ऐसे मामलो में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राईटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्णता अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यों हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा हैं।

(7) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाय।

(8) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत की गयी धनराशि के फेजिंग कार्य की प्रगति एवं अवसर के अनुसार किया जाय, जहां तक संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल स्वीकृत धनराशि के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि का व्यय न किया जाय।

(9) स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दी शर्तों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(11) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा एवं पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(13) ऐसी केन्द्र प्रायोजित जिनमें कार्मिकों का वेतन भुगतान निहित है, के संबंध में पी0एफ0एम0एस0 के एस0एन0ए0 माड्यूल के माध्यम से कार्मिकों के वेतन के भुगतान के संबंध में भारत सरकार के पत्र संख्या-1(13)/PFMS/FCD/2020, दिनांक 08, मार्च, 2022 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 12/2022/बी-1-357/दस-2022 दिनांक 10 मई, 2022 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) परियोजनाओं में टाइम ओवर-रन/कॉस्टट ओवर-रन को नियंत्रित करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(15) विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यपक्ष स्तंर पर एककमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकंमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(16) नोडल अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियॉं निर्गत करने के साथ-साथ संबंधित स्वीकृति आदेश के विवरण को बजट एलाटमेन्ट सिस्टम (budgetallot.up.nic.in) पर भी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। इस प्रविष्टि के बाद ही संबंधित वित्त नियंत्रक के द्वारा अग्रेतर बजट एलाटमेन्ट की कार्यवाही की जा सकेगी।

(17) वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित आदेशों को वेब साईट https://shasanadesh.up.gov.in पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाय।

(18) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराश के समक्ष किये गए व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1- 1195/दस-16/94,दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,63,750 (रुपये दस लाख तिरेसठ हजार सात सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 010 लेखा शीर्षक 2851001071400 केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास की योजना (राज्यांश) मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **E-1-68-X-2024-25-दिनांक:11-7-2024** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-25/2024/001-74-2002-001-4-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7 -वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

परमात्मा यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।